A- 1.6

Office of the Districts Collector,
District- champawat (Uttarakhand)

No..1255......./F.R.A. Dated ..4-12-2019

परियोजना का नाम :– जनपद चम्पावत में राज्य योजना के अंतर्गत स्वीकृत चतुरकोट–कफल्टा मोटर मार्ग लम्बाई 6.00 कि0मी0 3.455 हेक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

Proceeding of the meeting of the District level Committee Constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) act (FRA), 2006

A meeting of the District Level committee of Champawat district (Uttarakhand) constituted under FRA 2006 was held the chairmanship of S.N. Pandey (IAS), District Magistrate Champawat (Uttarakhand) On 28-11-2019 at District.... Champawat in which the application claiming rights at **Kafalta village in Champawat Tehsil**. Area measuring **3.455 hec**. for the **construction work of road at Chaturkot to Kafalta in District Champawat** of the forest FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub- Division Level committee of campawat were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After Scrutiny of the Documents and Detailed discussion. No objection/claims were found to have been made and hence District Level Committee recommends the above case diversion to the land for the said purpose.

(S.N. Pandey) जिलाधिकारी
District Magistrate-cum-Chairman,
District Level Committee,
Champawat.

प्रभागीय वन अधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत

जिला समाज कल्याण अधिकारी
चम्पावत

Sangeeta
जिला पंचायत सदस्य
....

A-1.6

कार्यालय जिलाधिकारी चम्पावत।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति चम्पावत की बैठक के बिन्दुः–

आज दिनांक 28-11-2019 को जिलाधिकारी कार्यालय चम्पावत में वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत प्रस्तावित चतुरकोट से कफल्टा मोटर मार्ग निर्माण में पड़ने वाली वन भूमि को प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग चम्पावत प्रयोक्ता ऐजेन्सी के पक्ष में प्रत्यार्वतन किये जाने हेतु बैठक की गयी।

जिनमें निम्न सदस्य उपस्थित रहे।

क0सं0	अधिकारी/सदस्य का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1.	श्री एस0 एन0 पाण्डेय	जिलाधिकारी चम्पावत	Sd/- जिलाधिकारी चम्पावत
2.	श्री कुबेर सिंह बिष्ट	प्रभागीय वनाधिकारी चम्पावत	Sd/- प्रभागीय वन अधिकारी चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत
3.	श्री रवीन्द्र सिंह सामन्त	जिला समाज कल्याण अधिकारी चम्पावत	Sd/- जिला समाज कल्याण अधिकारी चम्पावत
4.	श्रीमती संगीता महर	जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र भंडारबोरा चम्पावत	Sangeeta जि0 पं0 सदस्य

A-1.6

कार्यालय जिलाधिकारी चम्पावत।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति चम्पावत की बैठक के बिन्दु:-

आज दिनांक-28-11-2019-को जिलाधिकारी कार्यालय चम्पावत में वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत प्रस्तावित चतुरकोट से कफल्टा मोटर मार्ग निर्माण में पड़ने वाली वन भूमि को प्रान्ती य खण्ड लोक निर्माण विभाग चम्पावत प्रयोक्ता ऐजेन्सी के पक्ष में प्रत्यार्वतन किये जाने हेतु बैठक की ग यी।

जिनमें निम्न सदस्य उपस्थित रहे।

1-श्री एस0एन0पाण्डेय	जिलाधिकारी चम्पावत
2- श्री कुबेर सिंह विष्ट	प्रभागीय वनाधिकारी चम्पावत
3- श्री रवीन्द्र सिंह सामन्त	जिला समाज कल्याण अधिकारी चम्पावत
4- श्रीमती संगीता महर	जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र भंडारबोरा चम्पावत

इस बैठक में प्रस्तावित चतुरकोट से कफल्टा मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.455 हे0 प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग चम्पावत प्रयोक्ता ऐजेन्सी के पक्ष में प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। उक्त भूमि का सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर प्रान्ती य खण्ड लो0नि0वि0 चम्पावत हेतु प्रत यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बंधित प्रभागीय वनाधिकारी चम्पावत द्वारा वन अधिनियम 2006 के अंर्तगत किसी भी दावेदार का आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है। बैठक में सर्वसम्मति से प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 चम्पावत को 3.455 हे0 वनभूमि प्रत्यावर्तन किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिलाधिकारी
जिलास्तरीय वन अधिकार समिति चम्पावत

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

Government of Uttarakhand
Office at the district collector Champawat

No. 1255/F.R.A Date: 4-12-2019

परियोजना का नाम :— जनपद चम्पावत में राज्य योजना के अंर्तगत स्वीकृत चतुरकोट–कफल्टा मोटर मार्ग लम्बाई 6.00 कि0मी0 3.455 हेक्टे यर वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of India's letter.No.11-9/98-FG (pt) date 3rd August 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers(Recognition of Forest rights)Act,2006 (FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposed read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 3.455 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Lok Nirman Vibhag Champawat (name of user agency) for Construction of Chaturkot to Kafalta motor road under state sector in district Champawat. (Purpose for diversion of forest land) in Champawat district falls within jurisdiction of Kafalta Talla, kafalta malla village (s) in Champawat Tehsils.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 3.455 hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultations and meeting of the forest rights committee(s) Gram Sabah(s) sub Division level committee(s) and the District level committee are enclosed as annexure 23 to 23.2 annexure total 5 page.

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabah's have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and pre agricultural communities.

Encl: As above.

Signature

जिलाधिकारी
चम्पावत

(Surendra Narayan Pandey)
(Full name and official seal of the District Collector)
कार्यालय जिलाधिकारी चम्पावत।

Attchement - 1.6

प्रपत्र—23

परियोजना का नाम :— जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र- चम्पावत के अन्तर्गत चतुरकोट से कफल्टा तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र

ग्राम पंचायत का नाम रुईया / कफल्टा
तहसील चम्पावत जिला चम्पावत

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला चम्पावत उत्तराखण्ड में जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र- चम्पावत के अन्तर्गत चर्तुकोट से कफल्टा तक परियोजना के निर्माण हेतु (1.490 है0 आरक्षित वन भूमि, 1.965 है0 सिविल सोयम भूमि, 0 है0, वन पंचायत भूमि, ———— है0) अर्थात कुल 3.455 है0 वन भूमि का लो0 नि0 वि0 चम्पावत विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत रुईयाँ (कफल्टा) द्वारा दिनांक 22/6/19 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम रुईयाँ (कफल्टा) के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो0 नि0 वि0 चम्पावत प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

नीमादेवी
ग्राम पंचायत रुईया
जनपद- चम्पावत
ह0 / —
ग्राम प्रधान

प्रधान
ग्राम पंचायत कफल्टा मल्ला
वि0ख0- चम्पावत

ह0 / —
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
वि0ख0 चम्पावत

नोट :— * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

प्रपत्र–23.1

Attchement–1.6

दिनांक 24-6-2019 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत रुईयाँ (मल्ला कफल्टा)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	उदय सिंह	उदय सिंह
	जीत सिंह	जीतसिंह
	नन्दन सिंह	नन्दन सिंह
	भुप सिंह	भुपसींह
	सोबान सिंह	सोबनसिंह
	नारायण सिंह	नारायणसिंह
	सुन्दर सिंह	[illegible]
	देवान सिंह	दीवानसिंह
	जोगा सिंह	जोगासींह
	नाथ सिंह	नाथसिंह
	बोधराम	बोधराम
	पितम राम	पितम राम
	गिधर राम	गिधर राम

प्रपत्र–23.1

दिनांक 24-6-2019 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत रुईयाँ (तल्ला कफल्टा)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियो के नाम	हस्ताक्षर
	जगदीश सिंह	जगदीश
		[illegible]
	सुरेन्द्र सिंह	
	देव सिंह	देव सिंह
	नारायण सिंह	नारायण सिंह
	राम सिंह	राम सिंह
	दीवान सिंह	दीवान सिंह
		चंचम सिंह
	चंचम सिंह	
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
	कृष्ण सिंह	कृष्ण सिंह
	गिरधर राम	गिरधराम
	श्याम सिंह	श्याम सिंह
	चन्द्र सिंह	चन्द्र सिंह

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र-चम्पावत के अन्तर्गत चलुरकोट से कफल्टा तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, चम्पावत

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, चम्पावत

उपखण्ड चम्पावत परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र चम्पावत के अन्तर्गत चलुरकोट से कफल्टा तक (1.490 है0 आरक्षित वन भूमि, 1.965 है0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, 0.000 है0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 3.455 है0 वन भूमि) का लो० नि० वि० चम्पावत प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील चम्पावत) की दिनांक 19-8-2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री अनिल सिंह गर्ब्याल उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1–	श्री अनिल सिंह गर्ब्याल उपजिलाधिकारी	चम्पावत	अध्यक्ष
2–	श्री मुरलीमनोहर भट्ट उप प्रभागीय वनाधिकारी	चम्पावत	सदस्य
3–	श्री मुरलीधर भट्ट सहायक समाज कल्याण अधिकारी	चम्पावत	सदस्य / सचिव
4–	श्रीमती ललिता देवी बी0डी0सी0 क्षेत्र	सल्ली	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र चम्पावत के अन्तर्गत चलुरकोट से कफल्टा तक मोटर मार्ग का निर्माण परियोजना हेतु 3.455 है0 वन भूमि का प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि० चम्पावत प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

ललिता देवी

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड चम्पावत परिक्षेत्र के अन्तर्गत चतुरकोट से कफल्टा तक परियोजना के निर्माण हेतु 3.455 हे0 वन भूमि लो.नि.वि. प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष उप जिलाधिकारी
सदर
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति चम्पावत
तहसील :– चम्पावत
जनपद :- चम्पावत

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी चम्पावत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप जिलाधिकारी
सदर
उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी चम्पावत
तहसील :– चम्पावत
जनपद :– चम्पावत